न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 45/20 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2020/00045)

फूलसिंह पुत्र किरोडी जाति जाटव निवासी सैह तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.............अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।

...............रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध निर्णय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 14.03.2018 प्रकरण संख्या 25/18 एवं दिनांक 16.01.2018 तहसीलदार कुम्हेर प्रकरण संख्या 50/2017 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट

उपस्थितिः–

1. श्री गोविन्द सिंह डागुर वकील अपीलान्ट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः– 18.09.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 14.3.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार कुम्हेर ने आदेश दिनांक 16.1.2018 से 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट को खसरा नम्बर 77/0.65 वाकै ग्राम बौरई किस्म गैर मुमकिन चारागाह में से 0.06 है पर सरसों बोकर अपीलान्ट को पाश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुये वेदखल किया जाकर विवादित आराजी से वेदखल कर शास्ती आरोपित कर 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है। जिसकी अपील तहत अदालत अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष की गई। अति0 जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.3.2018 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज की गई तथा तहसीलदार कुम्हेर का निर्णय यथावत रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। अपीलान्ट की ओर से श्री गोविन्द सिंह डागुर एडवोकेट उपस्थित हुये। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.03.2018 विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुम्हेर में पटवारी हल्का बावैन द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि राजकीय भूमि आराजी खसरा नम्बर 77/0.65 है0 वाकै ग्राम बौरई किस्म चारागाह में से 0.16 है0 पर सरसों बोकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर लिया है। उक्त पटवारी रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 एल आर एक्ट के तहत

नोटिस जारी किया गया। जिसकी कोई तामील अपीलान्ट पर नहीं हुई। इसके बावजूद अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया। इसी निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विवादित खसरा नंबर के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के आधार पर तीन माह के साधारण कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। जबकि पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई दस्तावेज साक्ष्य अदालत मातहत की पत्रावली में नहीं है। केवल पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट को आधार मानकर उक्त निर्णय पारित किया गया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में न तो पूर्व में बेदखल किए जाने की कोई रिपोर्ट ही पत्रावली में संलग्न है और न ही पटवारी की घटनावही की प्रति ही संलग्न की गई। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट के द्वारा पूर्व में कब अतिक्रमण किया गया व उसे कब बेदखल किया गया। अपीलान्ट जाति से जाटव है और ग्राम सैह का मूल निवासी है विवादित आराजी ग्राम बौरई में स्थित है। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा। अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया हुआ है। इसके बावजूद रंजिशवश पटवारी द्वारा अपीलान्ट के नाम से धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही कर दी गई है जो मौका एवं रिकार्ड के विपरीत है। विवादित आराजी के आसपास भी अपीलान्ट का कोई खेत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा भी अपीलान्ट की अपील खारिज करने में कानूनी भूल की गई है। जबकि अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील में यह उल्लेख किया गया था कि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही उसके द्वारा जोता गया है। पटवारी हल्का द्वारा मिल्लत कर अपीलान्ट के विरूद्ध दफा–91 एल आर एक्ट की कार्यवाही की गई है। इस संबंध में अपीलान्ट की ओर से शपथ पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था उस पर भी गौर नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार कुम्हेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.1.2018 व अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.3.2018 निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.03.2018 व तहसीलदार कुम्हेर की ओर से पारित आदेश दिनांक 16.01.2018 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 77/0.65 वाकै ग्राम बोरई किस्म गै0मु0 चारागाह में से0.16 है0 पर फसल सरसौ बो कर पुनः अतिक्रमण कर लिया है। इन तथ्यों गया है, जिससे उनके कथनों की ताईद होती हो। जबकि पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिचार होने की रिपोर्ट के साथ–साथ बयान में भी गत सम्वत 2073 में अपीलान्ट के खिलाफ प्रकरण संख्या 7/17 दर्ज होना तथा निर्णय दिनांक 7.2.2017 से बेदखल किये जाने का उल्लेख किया गया है। इसी आधार पर अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचार मानकर बेदखली के साथ–साथ सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। तहत अदालत में अपीलान्ट के द्वारा केवल शपथ पत्र पेश कर अतिक्रमण नहीं होना अंकित किया है, लेकिन विवादित भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में किसी तरह की कोई

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

रिपोर्ट पेश नहीं की गई। अपीलान्ट द्वारा बार–बार उक्त सार्वजनिक चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया जाना भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के उल्लघंन के साथ–साथ अपीलान्ट की गलत मंशा को भी दर्शाता है। अतिक्रमित भूमि राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानानुसार वर्जित होने से तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायसंगत है। अपील अपीलान्ट बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.03.2018 व 16.01.2018 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की ओर से अपीलान्ट के विरूद्ध खसरा नंबर 77 रकबा 0.65 किस्म चारागाह रकबा 0.16 है0 में सरसों बोकर अतिक्रमण किए जाने की रिपोर्ट तहसीलदार कुम्हेर के समक्ष दिनांक 29.12.2017 को पेश की गई। इस रिपोर्ट की कैफियत में अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने व पूर्व बेदखली दिनांक 21.03.2016 को किए जाने की रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट के साथ खसरा परिवर्तनशील व नजरी नक्शा पेश किया गया। उक्त रिपोर्ट पेश होने पर तहसीलदार कुम्हेर के द्वारा अपीलान्ट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिवत नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस की असालतन तामील होने के बावजूद अपीलान्ट के उपस्थित नहीं होने के कारण तहसीलदार कुम्हेर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.01.2018 को पारित किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया कि गैर सायल द्वारा सम्वत 2073 में भी अतिक्रमण किया गया था, जिसका प्रकरण संख्या 7/17 नायब तहसीलदार कुम्हेर में दर्ज हुआ था। इसमें निर्णय दिनांक 07.02.2017 से अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने के एवं खड़ी फसल को नीलाम करने के आदेश दिए गए थे। भू–अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.03.2017 को मौके पर बेदखली की कार्यवाही करते हुए फसल नीलामी की गई थी। पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में पटवारी हल्का के बयान लिए जाने का उल्लेख भी करते हुए अपीलान्ट को विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए बेदखली के साथ–साथ लगान की 50 गुना शास्ती के अर्थदण्ड व 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है। तहसीलदार कुम्हेर से प्राप्त हुई मूल पत्रावली में न तो पटवारी हल्का के बयान संलग्न हैं और न ही पूर्व में किए गए बेदखली संबंधी कार्यवाही की रिपोर्ट या घटनावही की प्रति ही संलग्न है। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.03.2018 में यह माना है कि अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में अपने बचाव में यथोचित साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किए गए और न ही अदालत हाजा में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश किया जिससे अपीलाधीन आदेश को बेबुनियाद या तथ्यों के प्रतिकूल माना जा सके। अपीलान्ट के द्वारा पेश किए गए शपथ पत्र को पर्याप्त नहीं मानकर तहसीलदार कुम्हेर की ओर से पारित आदेश को यथोचित माना है तथा अपीलाधीन निर्णय में यह उल्लेख किया है कि अतिक्रमित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधान के अनुसार वर्जित होने के कारण अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। यद्यपि विद्वान अतिरिक्त जिला

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कलक्टर का उपरोक्त अभिमत उचित है, परन्तु सिविल कारावास का दण्ड किए जाने से पूर्व पश्चातवर्ती अतिचार साबित होना भी आवश्यक है, जो कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार कुम्हेर के न्यायालय से प्राप्त पत्रावली से साबित नहीं हो रहा है। केवल पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में ही पश्चातवर्ती अतिचार होने का उल्लेख किया गया है। पत्रावली में पटवारी हल्का के बयान, पूर्व की बेदखली रिपोर्ट, घटनावही आदि की प्रति संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती अतिचार मानकर दिए गए सिविल कारावास की सजा को उचित नहीं कहा जा सकता है। अपीलान्ट की ओर से विवादित भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई प्रतिवाद नहीं किया गया। फिर भी विवादित भूमि जिसके संबंध में पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण किए जाने की रिपोर्ट अपीलान्ट के विरूद्ध पेश की गई थी कि किस्म गैर मुमकिन चारागाह है, जिसका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत न तो आवंटन हो सकता है और न ही नियमन हो सकता है, परन्तु अपीलान्ट द्वारा मीमो आफ अपील में यह उल्लेख किया गया है कि वह ग्राम सह का निवासी है। जबकि विवादित भूमि ग्राम बौरई में स्थित है, जिस पर अपीलान्ट का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। वरन् अन्य व्यक्तियों का कब्जा है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध गलत रिपोर्ट पेश की गई है। अतः इस बिन्दु की जांच कराए जाना भी उचित प्रतीत होता है कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2018 व तहसीलदार कुम्हेर की ओर से पारित आदेश दिनांक 16.01.2018 में सिविल कारावास संबंधी दिए गए दण्ड को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कुम्हेर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के संबंध में भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का से पुनः रिपोर्ट प्राप्त करें। यदि विवादित भूमि पर अपीलान्ट के अलावा अन्य व्यक्तियों का कब्जा है तो ऐसे अतिक्रमियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे तथा यदि अभी भी अपीलान्ट का अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलान्ट के विरूद्ध पश्चातवर्ती अतिचार होने के संबंध में पटवारी हल्का से विधिवत रिपोर्ट प्राप्त करने, रिपोर्ट के समर्थन में पटवारी हल्का के बयान आदि लेने, पूर्व में बेदखल किए जाने के संबंध में घटनावही व बेदखली की रिपोर्ट लेने तथा अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 18.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

18.09.2023

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर